सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UK09761777382126U**
Certificate Issued Date	:	26-Sep-2022 12:14 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1200104/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120010424857384428658U
Purchased by	:	SUNRISE ACADEMY
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SUNRISE ACADEMY
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	SUNRISE ACADEMY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY
SANJEEV SHARMA
ADVOCATE
DEHRADUN DISTRICT
Regn.No.29(01)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND

NOTARIAL NOTARIAL

26/9/22

Ashutosh Gupta
Stamp Vendor
Court Dehradun

Please write or type below this line

समक्ष – निदेशक, उत्तराखंड़ विद्यालयी शिक्षा, देहरादून उत्तराखंड़।

शपथ पत्र ओर से – श्री नरेन्द्र सिंह रावत, पुत्र श्री खुशहाल सिंह रावत निवासी मकान न0 6 गडोली पौडी गढ़वाल उत्तराखंड़/ अध्यक्ष सनराइज एकेडमी मैनेजमेंट सोसाइटी जिला देहरादून है।

ह.......................................शपथकर्ता

मैं शपथकर्ता निम्नलिखित कथन करता हूँ–

क– उत्तराखण्ड़ में स्थित शिक्षण संस्थानों के **कांउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन**/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्वता प्राप्त करने हेतु उपयुक्त दोनो बोर्डो द्वारा निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

ख– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय नवीनीकरण कराया जायेगा।

ग– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

घ– विद्यालयों में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

ड़– संस्था द्वारा राज्य सरकार से संस्था के संचालन हेतु किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/ **कांउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली** से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

च– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

छ– विद्यालय /संस्था में कार्यरत कर्मचारियो की सेवा शर्त, बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

ज– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे, संस्था उनका पालन करेगी।

झ– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

ट– उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

ह.......................................शपथकर्ता

NOTARY
SANJEEV SHARMA
ADVOCATE
DEHRADUN DISTRICT
Regn.No.29(01)/2003

ATTESTED
SANJEEV SHARMA
Advocate & NOTARY
Collectorate Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)